

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: एफ.1(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक:- 31-01-2019

—: आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलेज सं.-6 में अंकित दिनांक को अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	पदनाम	कॉलेज/कार्यरत स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	दिनेश कुमार नाटानी	पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय महाविद्यालय, दौसा	25.01.1959	31.01.2019
2.	मो. आरिफ खान	पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बूंदी	11.02.1959	28.02.2019
3.	शिवनारायण गौड	पुस्तकालयाध्यक्ष	आर.डी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर	28.04.1959	30.04.2019
4.	सदाशिव शर्मा	पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय महाविद्यालय, करौली	01.07.1959	30.06.2019
5.	अशोक कुमार टेलर	पुस्तकालयाध्यक्ष	राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	01.09.1959	31.08.2019
6.	देवाराम चौधरी	पी.टी.आई	राजकीय महाविद्यालय, याडगेर	08.02.1959	28.02.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर तालिका में नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त अधिकारियों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(रामस्वरूप चौहान)

१८ शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित महाविद्यालय/अधिकारी द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव
31/1/19

राजस्थान सरकार


आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ1()प्रशा./आकाशि/2019/2443

दिनांक:- 31.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित प्राचार्य/ संबंधित अधिकारी।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/कार्मिक/अनुदान/अकादमिक/योजना एवं समन्वय) आयुक्तालय।
6. स्थापना शाखा कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर